प्रेस नोट

दिनांक 25.06.2024

थाना वजीरगंज क्षेत्र अन्तर्गत जानलेवा हमला करने की घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद कारतूस बरामद-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत में मु0अ0सं0-925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजन सिंह पुत्र देवेश सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को पोर्टलगंज डिहवा रोड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2024 को वादी राघवेन्द्र सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम रामपुर खरहटा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 02.06.2024 को वादी स्कार्पियो गाड़ी से दर्जी कुआ से अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। मेट जी स्कूल के पास विपक्षीगण द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया नही रोका तो जान से मारने की नियत से गोली फायर कर दिया गया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 230/24 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भादवि बनाम राजन सिंह आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 25.06.2024 को नामजद अभियुक्त राजन सिंह पुत्र देवेश सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को पोर्टलगंज डिहबा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजन सिंह पुत्र देवेश सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 230/24 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भादवि थाना वजीरगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 274/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सावन सिंह
02. उ0नि0 गिरिजेश यादव
03. हे0का0 आनन्द सिंह
04. का0 अम्बरीश यादव
05. का0 राजन जायसवाल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 25.06.2024, थाना मोतीगंज

जनपद गोण्डा।

थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को बहला फ़ुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 257/2024, धारा 363, 376(2N) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दानबहादुर उर्फ दन्नु उर्फ दुर्गेश पुत्र धर्मपाल यादव नि0ग्राम मचौंर (बाबू पुरवा) थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना मोतीगंज पुलिस के द्वारा कहोबा बाजार बैंक के आगे रोड से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0- 257/2024, धारा 363 भादवि बनाम दुर्गेश यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376(2N) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 25.06.2024 को नामजद आरोपी अभियुक्त दानबहादुर उर्फ दन्नु उर्फ दुर्गेश पुत्र धर्मपाल यादव नि0ग्राम मचौंर (बाबू पुरवा) थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना मोतीगंज पुलिस के द्वारा कहोबा बाजार बैंक के आगे रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. दानबहादुर उर्फ दन्नु उर्फ दुर्गेश पुत्र धर्मपाल यादव नि0ग्राम मचौंर (बाबू पुरवा) थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 257/2024, धारा 363, 376(2N) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह थाना मोतीगंज, गोण्डा।
02. का0 गगन चन्द्र यादव
03. म0का0 रंजना भारती

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 25.06.2024, मीडिया सेल

जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

18 वारंटी अभियुक्तगण गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 02, थाना को0कर्नलगंज पुलिस ने 05, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01, थाना नवाबगंज पुलिस ने 05, थाना परसपुर पुलिस ने 03, थाना खरगूपुर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।